प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा.0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
मुख्य ब्रांच, नई दिल्ली।

संख्या 35 /एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–704/2024 श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश सराकर व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या–704/2024 श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश सराकर व अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 25–07–2024 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद एवं सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद की टीम गठित कराकर आख्या प्राप्त की गयी। गठित समिति द्वारा दिनांक 21–10–2024 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आख्या प्रस्तुत की गयी जिसे मूल रूप में संलग्न कर संलग्नको सहित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

Joint inspection report in compliance to direction issued vide dated 25.07.2024 by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No-704/2024 Shyamlal Vs State of U.P.

1- Subject:-

In this original application grievances of complainant Shri Shyamlal, resident of D-17, Guru nanakpura, Modinagar, District Ghaziabad is that there are some welding and winding units wherein fuel furnaces are working but proponents are actually using wood which is obtained due to illegal cutting of trees.

2- Background :-

Hon'ble National Green Tribunal has passed order on dated 25.07.2024 in the matter of Shyamlal Vs State of U.P. in OA No-704/2024. The main part of order are reproduced here : -

"…………3. We accordingly, constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Ghaziabad and UP Pollution Control Board.

4. District Magistrate shall be the Nodal Agency for co-ordination and compliance.

5. The said Committee shall collect relevant information, visit the site, and if finds any violation of environmental laws, take appropriate prohibitive, preventive, punitive and remedial action after giving due opportunity of hearing to all concerned parties, within a period of three months, and submit a Compliance Report with Registrar General of this Tribunal, who, if finds necessary, may place the matter for further orders before the Bench.

6. With above directions, this Original Application is disposed of………"

3.Compliance:-

In Compliance to aforesaid directions a joint team of official from U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad and District Administration, Ghaziabad carried out joint inspection of the units in question and interacted with official of unit as well as complainant on 09.08.2024. During inspection observations made by joint team facts/findings are given here:

I. During visit it was observed that the unit in name of M/s Surya Engineering company is established at D-17, Guru nanakpura,

Modinagar, District Ghaziabad in the residential area of Nagar Palika Parishad Modinagar, Ghaziabad. The photograph taken during visit is given below:

II. During visit representative of the unit Smt Anita Sharma w/o Shri Santosh Sharma proprietor of the unit was present and reported the working of the unit to be since year 2009.

III. During visit it was found that the unit is engaged in repairing work of sugar machinery parts by using lathe machine. Further during visit no furnace was found to be established by joint team. No emission and effluent discharge were found observed.

IV. During visit it was found that the unit is involved cutting, drilling, turning operations which may cause problem in near by area due to noise.

V. During visit it was reported by the representative of unit that the work is not done regularly. The work is done only when the order is placed. During visit no work was found being carried out.

4.Conclusion:-

(i) It is also pertinent to mention here that Hon'ble High Court Allahabad had passed order on 13.08.2003 in the matter of Writ-C No-34957/2003 (Smt. Mitlesh Jain Vs State of U.P. &Ors.) regarding prohibition of industrial activities conducting in residential area and in pursuant to aforesaid order Chief Secretory, Govt. of UP has issued directions vide सी0एस0/89/9–अ–3–2003–82 रिट/2003 दिनांक 05.09.2003 एवं सी0एस0–89(1)/9–आ0–3–2003–82रिट/2003 Housing and urban planning section-3 dated 10.11.2003 for prohibition of commercial and industrial activities conducting in marked out in residential land use in master plan.

(ii) In pursuant to above UPPCB, Lucknow vide letter H-35723/C-4/OA No-64/2016 dated 10.05.2019 has issued direction to send the recommendation to Vice President, Development Authority or incharge Nagar Nigam/Executing Officer, Nagar Palika Parishad/Nagar Panchyat for shifting of such activities. Copy of letter is attached as **Annexure-I.**

(iii) In view of above UPPCB issued letters dated 14.08.2024 & 11.09.2024 to Executing Officer, Nagar Palika Parishad Modinagar, Ghaziabad to take appropriate action on the matter. The copy of letters is attached herewith as **Annexure-II**.

(iv) In reply to above a letter dated 10.09.2024 was received from Nagar Palika Parishad Modinagar, Ghaziabad stating that no industrial activities is being carried out at the site is question. The copy of said letter is attached herewith as Annexure-III.

Above report is submitted here by for kind perusal and necessary action.

21/10/2024

(Kunwar Santosh Kumar)
A.E.E.
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.

(Gambhir Singh)
Additional District Magistrate
(City)
Ghaziabad.

Annexure-01
6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या– H35723/सी-4/OANo-64/2016 दिनांक– 10-05-19

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 64/2016 एवं एम0ए0 सं0 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम् उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 28.11.2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 64/2016 एवं एम0ए0 सं0 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम् उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में दिनांक 28.11.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है ....

"Even though the present application referred to be the units at Mathura order of the Hon'ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the state of U.P. and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report."

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका सं0 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या– सी0एस0/89/9–अ–3–2003–82 रिट/2003 दिनांकित– 05.09.2003 एवं शासनादेश सं0 सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–82रिट/2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 दिनांक 10–11–2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश 35557/सी–4/उ0प्र0 शासन/04 दिनांक 16.08.2004 जारी किया गया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (Civil) No (s) . 4295 2011 (M/s Manoj Mini Rice Mill & Ans Vs State of U.P. & Ors. में दिनांक 23.09.2013 को पारित आदेश ....

"We consider it necessary to observe that the Government of Uttar Pradesh and its officers as also the Uttar Pradesh Pollution Control Board shall take active and effective steps for implementation of the directions given by the High Court in Writ Petition No.

Scanned by CamScanner

34957 of 2003 – Srimati Mithilesh Jain V. State of U.P. and others and order passed in P.I.L. Writ Petition No. 15432/2010 Smt. Indira Singh vs. State of U.P. and others and ensure that all commercial and industries are shifted out of the residential areas without any delay."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक के अनुपालन में आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल निर्णय पारित किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

संलग्नक : मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. समस्त वृत्त अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अनु सचिव, पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक–1745/पी0एस0एम0एस0/एस0ओ0–2018 दिनांक– 05.12.2018 के अनुकम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रमुख सचिव महोदय स्तर से शासनादेश निर्गत कराये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना चाहेगें।

सदस्य सचिव

Annexure-II

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1160 / एन0जी0टी0–222 / 2024 दिनांक 14/8/2024.

महत्वपूर्ण / मा0एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा मे,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
मोदीनगर, गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 704 / 2024 श्यामलाल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त वर्णित अधिनियमों का संदर्भ ग्रहण करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 704 / 2024 श्यामलाल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सम्बन्ध मे संदर्भित इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 09.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय संदर्भित मैसर्स सूर्या इन्जीनियरिंग कम्पनी, डी–17, गुरूनानकपुरा, मोदीनगर, गाजियाबाद में स्थापित खारद मशीन का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय खारद मशीन के स्वामी श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री संतोष शर्मा उपस्थित थे। संदर्भित खराद मशीन में दो मशीन कमशः 01 खराद मशीन एवं 01 पेपर मशीन स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय संदर्भित इकाई में फर्नेस की स्थापना नही पायी गयी। संदर्भित स्थल नगर पालिका परिषद, मोदीनगर के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्र मे स्थित है, जिसके संचालन से आस–पास के जनमानस को प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अवगत कराना है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमन्य औधोगिक क्षेत्रों मे उधोग के स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ अनापत्ति प्रमाण तथा सहमति जल एवं वायु निर्गत की जाती है।

आप अवगत है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका संख्या 34957 / 2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेष दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या सी0एम0 / 89 / 9–अ–3–2003–82 / 2003 दिनांक 05.09.2003 एवं शासनादेश संख्या सी0एफ0–89(1) / 9–आ–3–2003–82रिट / 2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 दिनांक 10.11.2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग मे चल रही व्यवसायिक एवं औधोगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0, नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0 को मा0 न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ इस आशय का निर्देश जारी किये गये है कि आवासीय भू–उपयोग मे व्यवसायिक एवं औधोगिक गतिविधिया अनुमन्य नही है। उक्त के सम्बन्ध मे प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0–613 / 81–7–2019 –152(रिट) / 2015 दिनांक 28.11.2019 द्वारा भी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, नगर विकास / आवास एवं शहरी नियोजन / ऊर्जा / अवस्थापना एवं औधोगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अनुपालनार्थ आदेश जारी किये गये है।

आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्रों मे अवैध उद्योगों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम, सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उपायुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद एवं मुख्य अभियंता, उ0प्र0 पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है। उपरोक्त वर्णित शिकायत आवासीय क्षेत्र मे अवैध रूप से औद्योगिक संचालन किये जाने सम्बन्धी है। अतः आवासीय क्षेत्र मे शासनादेश के अनुरूप की जाने वाली गतिविधिया अनुमन्य नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मैसर्स सूर्या इन्जीनियरिंग कम्पनी, डी–17, गुरूनानकपुरा, मोदीनगर, गाजियाबाद का संचालन बन्द कराते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे आख्या मा0 न्यायालय के समक्ष ससमय प्रेषित की जा सके।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

(ACE)

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संख्या : 1454 / एन0जी0टी0 222 / 2024 दिनांक 11.09.2024

महत्वपूर्ण / मा0एन0जी0टी0 प्रकरण
अनुस्मारक–1

सेवा में

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
मोदीनगर, गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 704 / 2024 श्यामलाल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 1160 / एनजीटी–222 / 2024 दिनांक 14.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 704 / 2024 श्यामलाल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सम्बन्ध मे संदर्भित इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 09.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय संदर्भित मैसर्स सूर्या इन्जीनियरिंग कम्पनी, डी–17, गुरूनानकपुरा, मोदीनगर, गाजियाबाद में स्थापित खारद मशीन का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय खारद मशीन के स्वामी श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री संतोष शर्मा उपस्थित थे। संदर्भित खराद मशीन में दो मशीन क्रमशः 01 खराद मशीन एवं 01 पेपर मशीन स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय संदर्भित इकाई मे फर्नेस की स्थापना नही पायी गयी। संदर्भित स्थल नगर पालिका परिषद, मोदीनगर के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्र मे स्थित है, जिसके संचालन से आस–पास के जनमानस को प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अवगत कराना है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमन्य औद्योगिक क्षेत्रों मे उधोग के स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ अनापत्ति प्रमाण तथा सहमति जल एवं वायु निर्गत की जाती है।

आप अवगत है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका संख्या 34957 / 2003 (श्रीमती मिथलेष जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेष दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या सी0एम0 / 89 / 9–अ–3–2003–82 / 2003 दिनांक 05.09.2003 एवं शासनादेश संख्या सी0एफ0–89(1) / 9–अ–3–2003–82रिट / 2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 दिनांक 10.11.2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग मे चल रही व्यवसायिक एवं औधोगिक गतिविधियां को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0, नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0 को मा0 न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ इस आशय का निर्देश जारी किये गये है कि आवासीय भू–उपयोग मे व्यवसायिक एवं औधोगिक गतिविधिया अनुमन्य नही है। उक्त के सम्बन्ध मे प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0–613 / 81–7–2019–152(रिट) / 2015 दिनांक 28.11.2019 द्वारा भी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, नगर विकास / आवास एवं शहरी नियोजन / ऊर्जा / अवस्थापना एवं औधोगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अनुपालनार्थ आदेश जारी किये गये है।

आवासीय / व्यवसायिक क्षेत्रों मे अवैध उद्योगों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 19.11.2019 द्वारा सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम, सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उपायुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद एवं मुख्य अभियंता, उ0प्र0 पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है। उपरोक्त वर्णित शिकायत आवासीय क्षेत्र मे अवैध रूप से औद्योगिक संचालन किये जाने सम्बन्धी है। अतः आवासीय क्षेत्र मे शासनादेश के अनुरूप की जाने वाली गतिविधिया अनुमन्य नही है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मैसर्स सूर्या इन्जीनियरिंग कम्पनी, डी–17, गुरूनानकपुरा, मोदीनगर, गाजियाबाद का संचालन बन्द कराते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे आख्या मा0 न्यायालय के समक्ष ससमय प्रेषित की जा सकें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

01 C